

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
नया रायपुर-492002

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल आरक्षक संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर भर्ती नियम के संबंध में प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार

भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु गठित भारत रक्षित वाहिनियों में आरक्षक (दूरसंचार) संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भारत के स्थानीय निवासी पुरुष/महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर दिनांक 15/05/2018 से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

01. आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि — 15/05/2018
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि— 14/06/2018 (समय 23:59 बजे तक)
02. परीक्षा स्थल — परीक्षा स्थल एवं अन्य कार्यक्रमों की जानकारी पुलिस विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
03. परीक्षा शुल्क— सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग— रुपये 200/- (रु. दो सौ मात्र)
अजा एवं अजजा वर्ग — रुपये 125/- (रु. एक सौ पच्चीस मात्र)
01. रिक्त पदों की संख्या :- चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाये अनुसार है। अंतिम चयन के समय वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

सकं	पदनाम	रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				योग
		अनारक्षित	अपिव	अ.जा.	अ.ज.जा.	
01	आरक्षक (दूरसंचार)	25	08	08	20	61

02. आरक्षण :- भर्ती में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी नियम लागू होंगे।
03. वेतनमान :- आरक्षक (दूरसंचार) संवर्ग हेतु सातवें वेतनमान के अनुसार मेट्रिक्स लेवल 4 में उल्लेखित वेतनमान रुपये 19500-62000 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत देय भत्ते।
04. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्त :- अभ्यर्थियों को पात्रता के लिये निम्नलिखित शर्त पूर्ण करना होगा, अर्थात् -
- (1) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - (2) आवेदक को निवास का प्रमाण पत्र (मूल निवासी का स्थायी प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (3) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए।
05. आयु :-
1. अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
 3. महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
 4. इसके अतिरिक्त शासन के निर्देशानुसार छ.ग. शासन के कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/नगर सैनिक/शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों को भी उच्चतर आयुसीमा में छूट प्रदान की जावेगी।

Handwritten signature
14/05